



दूरभाष सं० :06252-242700 [O]
06252-242800 [R] 242900 [F]
E-mail : dm-motihari.bih@nic.in

समाहरणालय,पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी
(जिला विधि प्रशाखा)

अभियोजन स्वीकृत्यादेश:-

चकिया थाना काण्ड सं०-373/19, दिनांक-02.11.2019, धारा-399/402/467/468/471 भा०द०वि० एवं 25(1-B)A/26/35 आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त 1. जुबैर अंसारी, पिता-अख्तर अंसारी, साकिन-कोईलहरा बाड़ा, थाना-मधुबन, 2. गोलू उर्फ अमित पाण्डेय उर्फ आर्यन पाण्डेय, पिता-गड्डु पाण्डेय, साकिन-गंडक कॉलोनी चकिया, थाना-चकिया, 3. शरवाज, पिता-मो० इन्द्रीश अंसारी, साकिन-कोईलहरा बाड़ा, थाना-मधुबन, 4. मोनु कुमार, पिता-रामनिवास तिवारी, साकिन-तेतरिया, थाना-राजेपुर, 5. रक्षित कुमार श्रीवास्तव, साकिन-प्रोफेसर कॉलोनी, चकिया 6. रवि यादव, पिता-मुन्नीलाल यादव, साकिन-जगति जमुनिया, थाना-कोटवा सभी जिला-पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 4484/सी०आर०(विविध), दिनांक 19.11.2019 से प्राप्त प्रस्ताव तथा उसके साथ संलग्न पु०अ०नि०, चकिया थाना के प्रतिवेदन दिनांक 15.11.2019 एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, चकिया के पर्यवेक्षण टिप्पणी ज्ञापांक 1387, दिनांक 08.11.2019 का अवलोकन किया। पुलिस प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ति सूची के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः मैं रमण कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण शस्त्र अधिनियम की धारा-39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-25(1-B)A/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय के मुहर के साथ जारी किया गया है।

ETD

(रमण कुमार)
जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञापांक:- /विधि, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक,पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी/थानाध्यक्ष, चकिया थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ETD

(रमण कुमार)
जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञापांक:-17 /विधि, दिनांक:-11-01-20

प्रतिलिपि:- जिला अभियोजन पदाधिकारी,पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पूर्वी चम्पारण को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



4.1.20
(रमण कुमार)
जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।